संख्या- 44/716/84-1-13-सीपी-16/2005टीसी-।।।

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,

उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 7 अक्टूबर, 2013

विषय- भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता फोरमों के सुदृढीकरण योजना तथा जिला फोरमों के भवन निर्माण हेतु आबंटित की गयी धनराशि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1319/एस.सी.डी.आर.सी./यू.पी./के0स0 टी0सी0-1/2008, दिनॉक 05 जुलाई, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला फोरम संतकबीर नगर, फिरोजाबाद, ललितपुर, बागपत, मैनपुरी, सिद्वार्थनगर व इटावा के भवन निर्माण हेतु रू0 1,34,00,000/- तथा गैर भवन मद में जिला उपभोक्ता फोरम संतकबीर नगर, बागपत व मैनपुरी हेतु रू0 6,00,000/- का उपलब्ध कराये गये अनुदान के सापेक्ष उक्त धनराशि विभाग में होने वाली बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन की जा सकती है। अत: विभाग में हो रही बचतों के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in